

**न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)**  
**(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)**

आपराधिक प्र.क्र.: 146 / 2015

संस्थित दि: 19 / 02 / 2015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

**विरुद्ध**

जितेन्द्र राऊत पिता ब्रजलाल राऊत उम्र 21 साल, जाति गोवारा,

निवासी ग्राम चंदना थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपी

— :: उर्पापण — आदेश :: —

(दिनांक—17 / 03 / 2015 को उपापिंत)

(01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी उदेलाल गडेर ने दिनांक 02.06.2014 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 30.05.2014 को उसकी चाची की गमी कार्यक्रम में गया था उसकी लड़की कलेश्वरी घर में थी दिनांक 31.05.2014 को सुबह 06:00 बजे देखा तो लड़की कलेश्वरी नहीं दिखी जिसका गांव रिश्तेदारी में पता किया कोई जानकारी नहीं मिली कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी लड़की को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 83 / 14 अन्तर्गत धारा 363 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान पाया गया कि आरोपी जितेन्द्र राऊत पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने एवं उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने से धारा 366, 376 भा.दं.वि. एवं 3 / 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2014 तथा 3(1)12 एस.सी./एस.टी. एक्ट का ईजाफा किया कर एवं आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी जितेन्द्र के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366, 376 भा.दं.वि. एवं 3 / 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2014 तथा 3(1)12 एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया

गया।

(03) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया।

(04) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366, 376 एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा 3(1)12 एस.सी./एस.टी. एक्ट का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

(05) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।

(06) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।

(07) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय विशेष न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 30.03.2015 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

(08) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति अन्तिम प्रतिवेदन में दर्शाये अनुसार एफ.एस.एल सागर भेजा जाना दर्शित है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर  
टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट